Witness No........02.......for.......अभियोजन साक्ष्य.......Deposition taken this

......30....day of......04.......2026 witness's apparent age.......55 वर्ष........

States on affirmation/My name is.....दसरू राम कंवर..............

S/of ......रैनूराम कंवर......Occupation ......प्रधान आरक्षक 290.........

address..........थाना कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ०ग०.....

समयः 03.40 बजे से ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ईश्वर लाल साहू लोक अभियोजक वास्ते छ. ग. राज्य ।

(1) मैं, वर्ष 2025 से अब तक थाना कांकेर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं।

(2) मेरे पदस्थापना के दौरान दिनांक 29.07.2025 को पुलिस थाना कांकेर के अपराध क्रमांक 218/2025 धारा 103 (1), 3(5) बी० एन० एस० के प्रकरण में आरोपी अपचारी तुषार कुमार साहू के जन्मप्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्मतिथि 03.12.2007 अंकित है तथा तुषार कुमार का आठवीं का प्रगति पत्रक एवं उसका आधार कार्ड जिसका क्रमांक 23170198512 की छायाप्रति को थाना कांकेर के जप्तमाल रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 120 में इंद्राज कर श्रीमती इंदिराबाई साहू द्वारा लाकर पेश करने पर मालखाना में सुरक्षित रखा था, मूल रजिस्टर प्र०पी०–04 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०–04 सी है ।

(3) उसी दिनांक को घटना स्थल कार सेलून के पास खाली जगह बरदेभाटा से आरोपी तुषार साहू से एक नग लोहे का चाकू जिसमें लकडी का मूठ लगा है चाकू की फल की लंबाई 16 से०मी०, बीच की चौडाई ढाई सें०मी०, लकडी के मूठ की लंबाई 10 से.मी., पूरे चाकू की लंबाई मूठ सहित 26 से.मी., जिसमें खून लगा है तथा एक काला रंग का टीशर्ट जिसमें सफेद प्रिंट है, जिसके सामने भाग में अंग्रेजी में HALASI लिखा है, जिसके सामने भाग पर खून लगा है, जिसे घटना के समय पहना था, जिसे जप्तमाल रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 121 में इंद्राज कर आरोपी तुषार साहू द्वारा लाकर पेश करने पर मालखाना में सुरक्षित रखा

था, मूल रजिस्टर **प्र०पी०–05** है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र०पी०–05 सी** है तथा उसी दिनांक को आरोपी सोमेश चक्रधारी पिता शिवप्रसाद चक्रधारी निवासी शांतिनगर कांकेर के द्वारा भरदेभाटा कार सेलून के पास खाली जगह से एक गहरे नीले रंग का टीशर्ट जिसमें बाह तथा नीचे भाग पर सफेद बाउडर, टीशर्ट के सामने भाग में अंग्रेजी में THLIG LIFE लिखा है। टीशर्ट के नीचे भाग में लाल खून लगा है, जिसे स्याही पेन में गोला घेरा किया गया है को जप्तमाल रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 122 में इंद्राज कर आरोपी सोमेश चक्रधारी द्वारा लाकर पेश करने पर मालखाना में सुरक्षित रखा था, मूल रजिस्टर प्र०पी०–06 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०–06 सी है।

(4) उसी दिनांक आरोपी दीपक साहू पिता नारद राम साहू, निवासी एम०जी० वार्ड कांकेर के द्वारा पेश करने पर एक नग VIVO–29 कंपनी का मोबाईल हल्का आसमानी रंग जिसमें एयरटेल का सिम नंबर 9644682244 लगा है, जिसका एम० आई० ई० आई० नंबर (1) 863405065028398 (2)863405065028380 जिसका पीटन लाक–198233 है, जिसमें घटना का विडियो बना है को आरोपी दीपक द्वारा पेश करने पर मैंने जप्तमाल रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 123 में इंद्राज किया था, जिसकी मूल प्रति **प्र०पी०–07** है, तथा प्रकरण में संलग्न सत्यापित प्रति **प्र०पी०–07 सी** है।

(5) उसी दिनांक को घटना स्थल से मृतक शिव बाल्मिकी का कपडा–शर्ट, सफेद फूल शर्ट, शर्ट के पीछे स्टीकर में S–18 लिखा हुआ है, जिसमें कई जगह पर लाल खून लगा है, जिसे स्याही से गोल घेरा कर चिन्हाकित किया गया है तथा घटनास्थल खाली जगह से मृतक का खून आलूदा मिट्टी लगभग आधा किलो तथा सादी मिट्टी लगभग आधा किलो एवं एक जोड़ी प्लास्टिक चप्प्ल जिसके उपर में GAME लिखा हुआ है को जप्तमाल रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 124 में इंद्राज किया था, मूल रजिस्टर **प्र०पी०–08** है तथा प्रकरण में संलग्न प्रमाणित प्रति **प्र०पी०–08 सी** है।

(6) दिनांक 06.08.2025 को पुलिस थाना कांकेर के आरक्षक 815 धनेश ध्रुव द्वारा लाकर पेश करने पर एक अस्पतालीय सीलबंद हालत में मृतक का Stomach with its contentand loops of intesine with its content तथा Liver and kidney तथा एक अस्पतालीय सीलबंद डिब्बे में मृतक का ब्लड सेम्पल एवं एक सीसी में नमक घोल तथा मृतक का टीशर्ट, जींस एवं मृतक का Blood Gaage तथा Gaage Pieec Cortol को मालखाना में सुरक्षित रखने माल खाना रजिस्टर के सिरियल क्रमांक 148 में इंद्राज किया था,जो **प्र०पी०-09** है, जिसकी सत्यापित प्रति **प्र०पी०-09 सी** है ।

नोटः- मैं आज अपने साथ जप्तमाल रजिस्टर की मूल लाया हूं । उक्त जप्तमाल रजिस्टर को प्रदर्श अंकित पश्चात वापस प्रदान की गई ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तुकेश्वर राणा चीफ एल० ए०डी०सी० अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।</u>

(07) यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण की विवेचना नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि मैं तथाकथित घटना स्थल पर कभी नहीं गया हूं । यह कहना सही है कि जप्तमाल रजिस्टर के कॉलम संख्या 03 में कहां व किसके पास से माल मिला का उल्लेख है, जहां विवरण भरा जाता है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने तथाकथित कार सेलून के पास घटना स्थल बरदेभाटा से सम्पति जप्त करना जप्तमाल रजिस्टर में उल्लेख किया है जबकि घटना स्थल नहीं गये थे, इस पर साक्षी का कहना है कि जप्ती पत्रक के आधार पर मैंने प्र०पी०- 05 सी में उल्लेख किया है । यह कहना सही है कि प्र०पी०-05 सी के जप्तमाल रजिस्टर में मेरे द्वारा जप्ती पत्रक के आधार पर जप्त कि गाय है, इस बात का उल्लेख नहीं है ।

(08) यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी सोमेश चक्रधारी व दीपक साहू से किसी प्रकार की कोई सामाग्री लाकर पेश करने पर जप्त माल रजिस्टर में इंद्राज नहीं किया था । साक्षी से यह पूछे जाने पर प्र०पी०-06 सी एवं प्र०पी०-7 सी में आपने आरोपी सोमेश चक्रधारी एवं दीपक साहू से माल प्राप्त करना, कालम संख्या 03 में उल्लेख किया है, इस पर साक्षी का कहना है कि जप्ती पत्रक के आधार पर मैंन कॉलम संख्या 03 में उल्लेख किया है,

किन्तु प्र०पी०–06 सी है एवं प्र०पी०–07 सी में इसका उल्लेख मेरे द्वारा नहीं किया गया है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्र०पी०–09 सी में उल्लेखित सीलबंद पैकेट को क्या आपने खोलकर देखा था, इस पर साक्षी का कहना है कि मैंने नहीं देखा था ।

(09) यह कहना सही है कि बंद लिफाफे के अंदर कौन कौन से वस्तुएं थी यह मैं नहीं बता सकता । साक्षी का स्वतः कहना है कि सीलबंद लिफाफे में जो लिखा था उसी आधार पर मैंने उल्लेख किया है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्र०पी०–04 सी, 05 सी, 06 सी, 07 सी, 08 सी की वस्तुए किस हालत में मेरे समक्ष जप्तमाल रजिस्टर में इंद्राज कराने के लिए बुलाया गया था, वह सीलबंद स्थिति में थी या नहीं इसका उल्लेख मेरे द्वारा जप्तमाल रजिस्टर में नहीं किया गया है ।

(10) यह कहना सही है कि प्र०पी०–04 सी से लगायत प्र०पी०–08 सी तक के वस्तुओ को प्र०पी०–09 की तरह मेरे समक्ष इंद्राज के लिए लाया जाता तो मेरे द्वारा जप्तमाल रजिस्टर में अवश्य रूप से किया जाता ।

समय 04.20 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

सहीं/–
(संजीव कुमार टामक)
प्रधान सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.